

मास्टर परिपत्र

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसीज) को बैंक वित्त

उद्देश्य

बैंकों द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के वित्तपोषण के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक की विनियामक नीति निर्धारित करना

वर्गीकरण

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35क के अधीन जारी सांविधिक दिशानिर्देश

पूर्ववर्ती दिशानिर्देशों का अधिक्रमण

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को बैंक वित्त संबंधी 1 जुलाई 2008 का मास्टर परिपत्र सं. आरबीआइ/ 2008-09/33 बैंपविवि. बीपी. सं. 4/08.12.01/2008-09.

प्रयोज्यता

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

संरचना

1. प्रस्तावना

1.1 शब्दावली

1.2 पृष्ठभूमि

2. भारतीय रिजर्व बैंक में पंजीकृत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को बैंक वित्त
3. ऐसी कंपनियों को बैंक वित्त जिनके लिए पंजीकरण कराना आवश्यक नहीं है
4. अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियों को बैंक वित्त
5. किन गतिविधियों के लिए बैंक ऋण नहीं दिया जा सकता
6. आढ़तिया कंपनियों को बैंक वित्त
7. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को बैंक वित्त दिए जाने पर अन्य प्रतिबंध
 - 7.1 पूरक ऋण /अंतरिम वित्त
 - 7.2 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को शेयरों की संपार्श्चक जमानत पर अग्रिम
 - 7.3 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के पास निधियाँ रखने के लिए गारंटियों पर प्रतिबंध
8. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में बैंकों के एक्सपोज़र की विवेकपूर्ण सीमा

1. प्रस्तावना

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अध्याय III ख के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की वित्तीय गतिविधियों को विनियमित करता आ रहा है। जनवरी 1997 में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 में संशोधन कर दिए जाने के बाद, उक्त अधिनियम की धारा 45ज्ञक के अनुसार सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक में अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य है।

1.1 शब्दावली

- क) ‘एनबीएफसीज़’ से तात्पर्य है भारतीय रिजर्व बैंक के गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग के पास पंजीकृत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी।
- ख) अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियां (आरएनबीसीज़) वे कंपनियां हैं जो भारतीय रिजर्व बैंक के गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग के पास प्रकार वर्गीकृत एवं पंजीकृत हैं।
- ग) ‘चालू निवेशों’ से तात्पर्य ऐसे निवेशों से है, जो उधारकर्ता के तुलनपत्र में ‘चालू परिसंपत्ति’ के रूप में वर्गीकृत हैं और जिन्हें एक वर्ष से कम अवधि के लिए रखा जाने वाला है।
- घ) ‘दीर्घावधि निवेशों’, से तात्पर्य ‘चालू परिसंपत्तियों’ के रूप में वर्गीकृत निवेशों को छोड़कर सभी प्रकार के निवेशों से है।

ঃ) ‘বেজমানতী ঋণে’ সে তাত্পর্য এসে ঋণে সে হै জো কিসী মূর্ত পরিসংপত্তি দ্বারা রক্ষিত নহীন হৈ ।

1.2 পৃষ্ঠাভূমি

ভারতীয় রিজৰ্ব বেঁক নে বেঁকোঁ' কে ঋণ সংবংধী মামলোঁ' কো ক্রমিক রূপ সে অবিনিয়মিত কর দিয়া হৈ। ঋণ বিতরণ কে মামলে মেঁ' বেঁকোঁ' কো অধিক পরিচালনগত স্বতন্ত্রতা প্রদান করনে কী নীতি কে অনুরূপ তথা রিজৰ্ব বেঁক কে পাস গৈর-বেঁকিং বিত্তীয় কংপনিয়োঁ' কে অনিবার্য পংজীকরণ কে পরিপ্রেক্ষ্য মেঁ' বেঁকোঁ' দ্বারা গৈর-বেঁকিং কংপনিয়োঁ' কো বিত্তপোষণ করনে সে সংবংধিত অংধিকাংশ পহলুওঁ' কো ভী অবিনিয়মিত কিয়া জা চুকা হৈ। তথাপি, গৈর-বেঁকিং বিত্তীয় কংপনিয়োঁ' কী কুছ বিশিষ্ট প্রকার কী গতিবিধিয়োঁ' কে বিত্তপোষণ সে সংবদ্ধ সংবেদনশীলতা কো দেখতে হুএ এসী গতিবিধিয়োঁ' কে বিত্তপোষণ পর প্রতিবাং লাগু রহেগা ।

2. ভারতীয় রিজৰ্ব বেঁক মেঁ' পংজীকৃত গৈর-বেঁকিং বিত্তীয় কংপনিয়োঁ' কো বেঁক বিত্ত

2.1 গৈর-বেঁকিং বিত্তীয় কংপনিয়োঁ' কো নিবল স্বাধিকৃত নিধি (এনআোএফ) কে সাথ সংবদ্ধ বেঁক ঋণ কী অধিকতম সীমা এসী সভী গৈর-বেঁকিং বিত্তীয় কংপনিয়োঁ' কে সংবাং মেঁ' হটা লী গই হৈ জো সাংবিধিক তৌর পর রিজৰ্ব বেঁক কে পাস পংজীকৃত হৈ তথা মুখ্যতয় আস্তি বিত্তপোষণ, ঋণ ঔৱ নি঵েশ সংবাংধী কারোবার কর রহী হৈ। তদনুসার, বেঁক রিজৰ্ব বেঁক মেঁ' পংজীকৃত তথা উপস্কৰ পড়ে পৰ দেনে, কিৱায়া-খৰীদ, ঋণ, আঢ়তিয়া ঔৱ নি঵েশ কাৰ্য করনেবালী সভী গৈর-বেঁকিং বিত্তীয় কংপনিয়োঁ' কো আবশ্যকতা পৰ আধাৱিত কাৰ্যশীল পুঁজী কী সুবিধাএঁ তথা মীয়াদী ঋণ প্রদান কৰ সকতে হৈ ।

2.2 ‘সেকেণ্ড হেণ্ড’ আস্তিয়োঁ' কে বিত্তপোষণ মেঁ' গৈর-বেঁকিং বিত্তীয় কংপনিয়োঁ' দ্বারা প্ৰাপ্ত অনুভব কো ধ্যান মেঁ' রখতে হুএ বেঁক গৈর-বেঁকিং বিত্তীয় কংপনিয়োঁ' দ্বারা বিত্তপোষিত ‘সেকেণ্ড হেণ্ড’ আস্তিয়োঁ' কী জমানত পৰ উন্হেঁ' বিত্ত প্রদান কৰ সকতে হৈ ।

2.3 গৈর-বেঁকিং বিত্তীয় কংপনিয়োঁ' কে বিবিধ প্রকার কী ঋণ সুবিধাএঁ প্রদান কৰনে কে লিএ রিজৰ্ব বেঁক দ্বারা নিৰ্ধাৰিত বিবেকপূৰ্ণ মাৰ্গদৰ্শী সিদ্ধাংত ঔৱ নি঵েশ মানদণ্ডোঁ' কে অন্দৰ বেঁক অপনে নিদেশক বোৰ্ড কে অনুমোদন সে উচিত ঋণ নীতি বনা সকতে হৈ বশৰ্তে পৈৱা 5 ঔৱ 6 মেঁ' দৰ্শণীয় গযে কাৰ্যকলাপোঁ' কো উনকে দ্বারা বিত্তপোষণ নহীন কিয়া জাতা হৈ ।

3. এসী কংপনিয়োঁ' কো বেঁক বিত্ত জিনকে লিএ পংজীকৰণ কৰানা আবশ্যক নহীন হৈ

জিন কংপনিয়োঁ' কে লিএ রিজৰ্ব বেঁক মেঁ' পংজীকৰণ কৰানা আবশ্যক নহীন হৈ, ঢঁজেসে - i) বীমা অধিনিয়ম, 1938 কী ধাৰা 3 কে অন্তৰ্গত পংজীকৃত বীমা কংপনিয়োঁ; ii) কংপনী অধিনিয়ম 1956 কী ধাৰা 620এ কে অন্তৰ্গত অধিসূচিত নিধি কংপনিয়োঁ; iii) চিটফণ্ড কা কারোবার কৰনেবালী এসী চিটফণ্ড কংপনিয়োঁ জিনকা প্ৰমুখ কারোবার, রিজৰ্ব বেঁক অধিনিয়ম, 1934 কী ধাৰা 45-I (খুখ) কে খণ্ড (vii) কে স্পষ্টীকৰণ কে অনুসার, চিটফণ্ড কারোবার হৈ; iv) ভাৰতীয় প্ৰতিভূতি এবং বিনিয়ম বোৰ্ড অধিনিয়ম কী ধাৰা 12 কে অন্তৰ্গত পংজীকৃত স্টোক ব্ৰোকিং কংপনিয়োঁ / মৰ্চেণ্ট বেঁকিং কংপনিয়োঁ; ঔৱ v) রাষ্ট্ৰীয় আবাস বেঁক দ্বারা নিয়ন্ত্ৰিত কী জা রহী এসী আবাস বিত্ত কংপনিয়োঁ জিন্হেঁ' রিজৰ্ব বেঁক মেঁ' পংজীকৰণ সংবাংধী অপেক্ষা সে ছুট প্ৰাত হৈজু উনকে মামলে মেঁ' ঋণ কে প্ৰযোজন, অন্তৰ্নিহিত আস্তিয়োঁ' কে স্বৰূপ ঔৱ গুণবত্তা, উধাৰকৰ্ত্তাোঁ' কী চুকৌতী কী ক্ষমতা তথা জোখিম সংবাংধী অপনী সমझ জৈসে সামান্য কাৰকোঁ' কে আধাৱ পৰ বেঁক ঋণ দেনে কে মামলে মেঁ' অপনা নিৰ্ণয় লে সকতে হৈ ।

4. अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियों को बैंक वित्त

4.1 अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियों के लिए भी यह अपेक्षित है कि वे रिजर्व बैंक में अनिवार्यतः अपना पंजीकरण कराएँ। रिजर्व बैंक में पंजीकृत ऐसी कंपनियों के मामले में बैंक वित्त उन कंपनियों की निवल स्वाधिकृत निधि तक सीमित होगा।

4.2 निवल स्वाधिकृत निधि (एनओएफ)

4.2.1 बैंकों को चाहिए कि वे निवल स्वाधिकृत निधि के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45- झ के स्पष्टीकरण में दी गयी परिभाषा का पालन करें, अर्थात्

1. निवल स्वाधिकृत निधि का आशय है

(क) कंपनी के नवीनतम तुलन-पत्र में बतायी गयी प्रदत्त ईक्विटी पूँजी और निर्बंध आरक्षित निधियों का योग, परंतु इसमें से निम्नलिखित को घटा दिया गया हो

- (i) संचित हानि शेष;
- (ii) आस्थगित राजस्व व्यय; और
- (iii) अन्य अमूर्त आस्तियाँ; तथा
- (ख) साथ ही, निम्नलिखित को भी घटा दिया गया हो
 - (1) ऐसी कंपनी का निम्नलिखित के शेयरों में निवेश
 - (i) उसकी सहायक कंपनियाँ;
 - (ii) उसी समूह की कंपनियाँ;
 - (iii) सभी अन्य गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ; और
- (2) डिबेंचरों, बांडों का बही मूल्य और निम्नलिखित को दिए गए बकाया ऋण तथा अग्रिम (हायर परचेज व लीज़ फाइनांस सहित) तथा निम्नलिखित के पास जमाराशियाँ

(i) ऐसी कंपनी की सहायक कंपनियाँ; और

(ii) उसी समूह की कंपनियाँ

उपर्युक्त (क) के 10 प्रतिशत से जितनी अधिक राशि है उतनी घटायी जाएगी।

II. "सहायक कंपनियाँ" और "उसी समूह की कंपनियाँ" का वही अर्थ होगा जो कंपनी अधिनियम; 1956 (1956 का 1) में दिया गया है।

5. किन गतिविधियों के लिए बैंक ऋण नहीं दिया जा सकता

5.1 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की निम्नलिखित गतिविधियाँ बैंक ऋण के लिए पात्र नहीं हैं :

- (i) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा भुनाये गये/पुनः भुनाये गये बिल, परन्तु निम्नलिखित की बिक्री के चलते गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा भुनाये गए बिलों की पुनर्भुनाई इसके अंतर्गत शामिल नहीं होगी-
- क) वाणिज्यिक वाहन (हल्के वाणिज्यिक वाहनों सहित), और
 - ख) दो पहिये और तीन पहिये वाले वाहन, परन्तु इस मामले में निम्नलिखित शर्तें लागू होंगी :
- * निर्माता ने डीलर के नाम से ही बिल आहरित किया हो;
 - * बिल से वास्तविक बिक्री संबंधी लेने देन की जानकारी मिलती हो, जैसे चेसिस / इंजन नंबर द्वारा उसकी जानकारी मिल सके; और
 - * बिल की पुनर्भुनाई करने से पहले बैंकों को चाहिए कि वे बिलों की भुनाई करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की विश्वसनीयता तथा उनके पिछले रिकार्ड के संबंध में स्वतः संतुष्ट हो लें।
- (ii) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा किसी कंपनी/संस्था के शेयरों, डिबेंचरों इत्यादि के रूप में वर्तमान और दीर्घ अवधि स्वरूप के किए गए निवेश। तथापि स्टॉक ब्रोकिंग कंपनियों को, उनके स्टॉक-इन-ट्रेड के रूप में रखे गए शेयरों और डिबेंचरों के आधार पर उनकी आवश्यकता के अनुसार ऋण उपलब्ध कराया जा सकता है।
- (iii) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा किसी कंपनी को गैर जमानती ऋण /में अंतर-कंपनी जमा।
- (iv) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा अपनी सहायक कंपनियों, समूह कंपनियों/संस्थाओं को दिए गए सभी प्रकार के ऋण और अग्रिम।
- (v) प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गमों में अभिदान हेतु तथा द्वितीयक बाज़ार से शेयरों की खरीद के लिए व्यक्तियों को ऋण देने के लिए गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का वित्तपोषण।

5.2 पट्टे पर तथा उप-पट्टे पर दी गई आस्तियाँ

चूंकि उपस्कर पट्टे पर देनेवाली (इक्विपमेंट लीजिंग) कंपनियों को बैंक वित्तीय सहायता प्रदान कर सकते हैं, इसलिए बैंकों को चाहिए कि वे ऐसी कंपनियों के साथ तथा उपस्कर पट्टे पर देने का काम करने वाली अन्य गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के साथ विभागीय तौर पर पट्टा संबंधी करार न करें।

6. आढ़तिया (फैक्टरिंग) कंपनियों को बैंक वित्त

उक्त पैरा 5.1 (i) और 5.1 (iii) में उल्लिखित प्रतिबंधों के बावजूद निम्नलिखित मानदंडों का अनुपालन करने वाली आढ़तिया कंपनियों के आढ़तिया व्यवसाय के समर्थन के लिए बैंक वित्तीय सहायता प्रदान कर सकते हैं।

- क) उक्त कंपनियाँ मानक आढ़तिया कार्य अर्थात् प्राप्य राशियों का वित्तपोषण, बिक्री-लेज़र प्रबंधन तथा प्राप्य राशियों की वसूली आदि जैसे सभी कार्य करती हैं।

ख) वे अपनी कम-से-कम 80 प्रतिशत आय आढ़तिया कार्य से प्राप्त करती हैं।

ग) इस बात पर ध्यान दिए बिना कि वे 'भुगतान अधिकार (रिकोर्स) सहित' हैं अथवा 'भुगतान अधिकार (रिकोर्स) रहित' हैं, खरीदी गई/वित्तपोषित प्राप्य राशियां आढ़तिया कंपनी की आस्तियों का कम-से-कम 80 प्रतिशत होनी चाहिए।

घ) उपर्युक्त उल्लिखित आस्तियों /आय में आढ़तिया कंपनी द्वारा प्रदान की गई किसी बिल भुनाई सुविधा से संबंधित आस्तियां /आय शामिल नहीं होंगी।

ङ) आढ़तिया कंपनियों द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सहायता उनके पक्ष में प्राप्य राशियों के दृष्टिबंधक अथवा समनुदेशन द्वारा रक्षित होनी चाहिए।

7. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को बैंक वित्त दिए जाने पर अन्य प्रतिबंध

7.1 पूरक ऋण /अंतरिम वित्त

बैंकों को चाहिए कि वे सभी श्रेणियों की गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों अर्थात् ईक्विपमेंट लीजिंग व हायर परचेज फाइनांस कंपनियों, ऋण व निवेश कंपनियों और अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियों को किसी भी तरह का पूरक ऋण, या कैपिटल/डिबेंचर निर्मार्गों के आधार पर अंतरिम वित्त और /या पूंजी, जमाराशियों इत्यादि के रूप में बाजार से दीर्घावधिक निधि की उगाही के लम्बित रहने के आधार पर तात्कालिक स्वरूप का कोई ऋण मंजूर न करें। बैंकों को चाहिए कि वे इन अनुदेशों का कड़ाई से पालन करें तथा यह सुनिश्चित करें कि इन अनुदेशों का जाने-अनजाने घुमा फिराकर कुछ अन्य अर्थ लगाकर निर्बंध परक्राम्य नोट, अस्थायी ब्याज दर वाले बांड इत्यादि के भिन्न नाम से तथा अल्पावधि ऋण के रूप में कोई ऐसा ऋण मंजूर न किया जाय जिसकी चुकौती बाहरी/अन्य स्रोतों से जुटाई जाने वाली निधि से की जाने वाली हो, न कि आस्तियों के उपयोग से होने वाले अधिशेष से।

7.2 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को शेयरों की संपार्श्चिक जमानत पर अग्रिम

किसी भी प्रयोजन के लिए गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी उधारकर्ताओं को प्रदत्त जमानती ऋणों के लिए शेयरों तथा डिबेंचरों की संपार्श्चिक जमानत के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता।

7.3 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के पास निधियाँ रखने के लिए गारंटियों पर प्रतिबंध

बैंकों को चाहिए कि वे अंतर-कंपनी जमाराशियों /ऋणों के संबंध में गारंटी न दें जिससे गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों / फर्मों द्वारा अन्य गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों/फर्मों से स्वीकृत जमाराशियों / ऋणों की वापसी की गारंटी दी जाती हो। यह प्रतिबंध सभी प्रकार की जमाराशियों/ऋणों पर उनके स्रोत पर विचार किये बिना, न्यासों तथा दूसरी संस्थाओं से गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा प्राप्त जमाराशियों/ऋणों को शामिल करते हुए, लागू है। गारंटियां इसलिए नहीं जारी की जानी चाहिए, ताकि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के पास जमाराशियां रखने के लिए वे अप्रत्यक्ष रूप से सहायक न हों।

8. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में बैंकों के एक्सपाज्जर की विवेकपूर्ण सीमा

8.1 किसी एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी/गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-आस्ति वित्तपोषण कंपनी (एनबीएफसी - एएफसी) में किसी एक बैंक का एक्सपोज़र (ऋण, निवेश और गैर-तुलनपत्र एक्सपोज़र सहित) उसके अंतिम लेखा परीक्षित तुलनपत्र के अनुसार बैंक की पूँजी निधियों के क्रमशः 10% / 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। बैंक किसी एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी /एनबीएफसी -एएफसी में अपनी पूँजी निधियों का क्रमशः 15% /20% तक एक्सपोज़र रख सकते हैं, बशर्ते क्रमशः 10%/15% से अधिक एक्सपोज़र गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी / एनबीएफसी -एएफसी द्वारा संरचनात्मक क्षेत्र को उधार दी गयी निधि के कारण हो।

8.2 बैंक सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के प्रति अपने कुल एक्सपोज़र के संबंध में आंतरिक सीमा निश्चित करने पर विचार कर सकते हैं।

8.3 एक्सपोज़र सीमा की गणना करने के लिए प्रकाशित तुलनपत्र की तारीख के बाद बढ़ायी गयी पूँजी निधि को भी शामिल किया जा सकता है। बैंकों को पूँजी वृद्धि का कार्य पूरा करने के बाद किसी बाह्य लेखा परीक्षक का प्रमाणपत्र प्राप्त करना चाहिए तथा उसे भारतीय रिज़र्व बैंक (बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग) को प्रस्तुत करना चाहिए। उसके बाद ही पूँजी निधि की वृद्धि को गणना में शामिल करना चाहिए।

परिशिष्ट

मास्टर परिपत्र -
गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को बैंक वित्त
मास्टर परिपत्र में समेकित परिपत्रों की सूची

संख्या	परिपत्र सं.	दिनांक
1.	<u>ऑनिक्रवि. सं. 29/08.12.01/98-99</u>	25.05.99
2.	<u>ऑनिक्रवि. सं. 15/08.12.01/97-98</u>	04.11.97
3.	<u>ऑनिक्रवि. सं. 17/03.27.026/96-97</u>	06.12.96
4.	<u>डीबीओडी सं. एफएससी. बीसी. 101/ 24.01.001/95-96</u>	20.09.95
5.	<u>ऑनिक्रवि. सं. 42/08.12.01/94-95</u>	21.04.95
6.	<u>डीबीओडी. सं. एफएससी. बीसी. 71 /सी.469/91-92</u>	22.01.92
7.	<u>ऑनिक्रवि. सं. 14/08.12.01/94-95</u>	28.09.94
8.	<u>आरबीआइ /273/2004-05</u> <u>डीबीओडी. ऑनिक्रअ. बीसी. सं. 57/08.12.01 (एन) / 2004-05</u>	19.11.04
9.	<u>आरबीआइ/2007-08/235</u> <u>बैंपविवि. बीपी. बीसी. संज 60/08.12.01/2007-08</u>	12.02.2008

**गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से संबंधित अनुदेशों/दिशानिर्देशों/
निदेशों वाले अन्य परिपत्र**

संख्या	परिपत्र संख्या	दिनांक	विषय
1.	<u>डीबीओडी. सं. डीआइआर. बीसी 107/13.07.05 /98-99</u>	11.11.1998	बैंकों द्वारा विलों की पुनर्भुनाई
2.	<u>डीबीओडी. सं. डीआइआर.बीसी 173/13.07.05/99-2000</u>	12.05.2000	बैंकों द्वारा विलों की पुनर्भुनाई
3.	<u>डीबीओडी. सं. डीआइआर. बीसी 90/13. 07.05 /98</u>	28.08.1998	शेयरों और डिब्बेचरों पर बैंक वित्त

4.	<u>डीबीओडी. सं.बीपी. बीसी</u> <u>51/21.04.137 /2000-2001</u>	10.11.2000	ईक्विटी के लिए बैंकवित्त और शेयरों में निवेश
5.	<u>आरबीआई/2004-05/68</u> <u>डीबीओडी. सं. डीआइआर.</u> <u>13.03.00/2004-05</u>	23.07.2004	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के पास निधियाँ रखने पर प्रतिबंध
6.	<u>आरबीआई/2006-07/205</u> <u>डीबीओडी. सं. एफएसडी.</u> <u>बीसी.46/24.01.028/2006-07</u>	12.12.2006	प्रणालीगत दृष्टि से महत्वपूर्ण गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ और बैंकों का उनके साथ संबंध - अंतिम दिशानिर्देश